का आधार पर्याप्त पाता हूँ।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त हरीश कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा **मु0 बीस हजार रूपए** का एक स्वबन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो विश्वसनीय स्थानीय जमानतें सम्बन्धित विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की दाखिल करने पर इस शर्त के साथ कि वह अपना पासपोर्ट न्यायालय मे दाखिल करेगा और विचारण समाप्त होने तक देश छोडकर बाहर नही जायेगा ,जमानत पर निम्न शर्त पर छोड दिया जाये ।

यह कि अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि को सम्बन्धित न्यायालय मे उपस्थित हो और विचारण में सहयोग करें। यदि मुकदमें में गवाह हाजिर आते हैं और अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता गवाह से जिरह नही करते हैं तो सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/ अपर सत्र न्यायाधीश, जो विशेष न्यायालयों मे नियुक्त हैं, के द्वारा अपने विवेकानुसार अवपीड़क कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में भी विचार किया जा सकता है।

दिनांक : अप्रैल 23,2014,

(कमल किशोर शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

प्रमाणित
प्रधान प्रतिलिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय
लखनऊ।